

दो बच्चों की नीति

देश में शक्तिशाली, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, रोज़गार पर बढ़ते दबाव को देखते हुए [दो बच्चों की नीति](#) अनविवार्य करने की मांग में तेज़ी आई है। हालाँकि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत को चीन से सबक लेते हुए इस मुद्दे पर कोई नियम लेना चाहिये।

राष्ट्रीय परविवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 5 के नवीनतम आँकड़ों से यह प्रमाणित होता है कि परविवार नियोजन के संबंध में भारत में सुधार हुआ है एवं बच्चों के जन्म की औसत दर में भी गरिवट देखी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे यह साबित होता है कि देश की आबादी स्थिर है एवं जनसंख्या वसिफोट का डर एवं दो बच्चों की अनविवार्य नीति गुमराह करने वाली है। इसके साथ ही यह विषय इसलायि भी चरचा का मुद्दा बन जाता है कि भारत जैसे देश के लिये दो बच्चों की नीति अपनाना कसि हद तक तारकिक है एवं इस संबंध में भारत को चीन से क्या सीख लेनी चाहिये।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस पर भाषण के दौरान देश से जनसंख्या नियंत्रण हेतु अपील की थी। प्रधानमंत्री के भाषण का एक बड़ा हसिसा प्रयावरण और व्यवहार संबंधी परवित्तनों से संबंधित चित्तियों से प्रेरित था। प्रधानमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण संबंधी प्रयासों को देशभक्तिका ही एक रूप बताया था और इसे प्राप्त करने हेतु पूरे समाज को आगे आने की बात भी कही थी। उन्होंने कहा था कि देश में जनसंख्या वसिफोट की स्थिति भविष्य की पीढ़ियों के लिये वभिन्न समस्याएँ उत्पन्न करेगी। जो लोग छोटे परविवार की नीति का पालन करते हैं वे भी विकास में योगदान करते हैं।

नीतिआयोग ने बाद में इस मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर के प्रामर्श हेतु वभिन्न हतिधारकों को आमंत्रित किया किंतु आगे चलकर इसे रद्द कर दिया गया।

वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री ने महिलाओं के लिये विवाह की उम्र को संशोधित करने के संबंध में एक संभावित नियम को बारे में बात की थी, जिसे कई लोग जनसंख्या को नियंत्रण करने के अप्रत्यक्ष प्रयास के रूप में देखते हैं।

राष्ट्रीय परविवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 5 रपोर्ट का पहला भाग जिसे कुछ समय पूरव ही सारवजनिक किया गया था, 17 राज्यों और 5 केंद्रशासित प्रदेशों के आँकड़ों को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संगठन जनसंख्या परिषद (Population Council) द्वारा इन आँकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि भारत के 17 में से 14 राज्यों में कुल प्रजनन दर (प्रतिमहिला जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या) में कमी आई है या प्रतिमहिला प्रजनन दर 2-1 या उससे कम है। इसका अर्थ यह हुआ कि अधिकांश राज्यों ने प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन (Replacement Level Fertility) अरथात् प्रतिमहिला जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या, जिसकी एक आबादी खुद को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पूरी तरह से बदल सकती है।

यह डेटा दर्शाता है कि दो बच्चे से संबंधित धारणा गलत और मथिक है। हालाँकि परविवार स्वास्थ्य कार्यक्रम व्यक्तियों के अधिकार और सम्मान को बनाए रखने हेतु आवश्यक है।

वर्ष 2005 और 2016 के मध्य आयोजित राष्ट्रीय परविवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 3 एवं राष्ट्रीय परविवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 4 के दौरान 22 में से 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में गर्भनिरीधक के आधुनिक तरीकों के इस्तेमाल में गरिवट देखी गई थी। जबकि राष्ट्रीय परविवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण- 5 में 12 में से 11 राज्यों में जहाँ इन गर्भनिरीधकों का उपयोग पहले कम या उसमें अब वृद्धि देखी गई। विशेषज्ञों द्वारा किये गए सर्वेक्षण के अनुसार, बाल विवाह की वृद्धि के संबंध में भी ध्यान आकर्षित किया गया है एवं अपील की गई है कि नीति-निर्माताओं को इस क्षेत्र में शुरुआती गर्भधारण पर अंकुश लगाने हेतु ध्यान देना आवश्यक है। हालाँकि देखा गया है कि प्रतिपरविवार दो बच्चों के संबंध में कोई राष्ट्रीय नीति नहीं है। इस मामले में नवंबर 2019 में राज्यसभा में एक विधियक पेश किया गया था, जिसमें छोटे परविवारों के लिये प्रतोत्साहन का प्रस्ताव रखा गया था।

वभिन्न राज्यों में दो बच्चों से संबंधित नीति: 2019 तक की स्थिति

असम

असम मंत्रमिंडल द्वारा लिये गए फैसले के अनुसार, वर्ष 2021 से दो से अधिक बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरी हेतु अयोग्य माने जाएंगे।

राजस्थान

सरकारी नौकरियों के मामले में जिन उम्मीदवारों के दो से अधिक बच्चे होंगे वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अनुसार, यद्किसी व्यक्तिके दो से अधिक बच्चे हैं तो उसे ग्राम पंचायत या वारड सदस्य के रूप में चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया जाएगा। हालाँकि पिछली सरकार ने वकिलांग बच्चे के मामले में दो बच्चों संबंधी मानदंड में ढील दी थी।

मध्य प्रदेश

यह राज्य वर्ष 2001 के बाद से दो बच्चों के मानदंड संबंधी नीति का पालन कर रहा है। मध्य प्रदेश सविलि सेवा (सेवाओं की सामान्य स्थिति) नियमों के अनुसार, 26 जनवरी, 2001 को या उसके बाद यदीकरण बच्चे का जन्म होता है तो वह व्यक्तिकर्ता भी सरकारी सेवा हेतु अयोग्य माना जाएगा। यह नियम उच्चतर न्यायिक सेवाओं पर भी लागू होता है।

मध्य प्रदेश ने वर्ष 2005 तक स्थानीय निकाय चुनावों के उम्मीदवारों के लिये दो-बच्चों के आदर्श का पालन किया परंतु व्यावहारिक रूप से आपत्तियाँ आने के बाद इसे बंद कर दिया गया। हालाँकि विधानसभा और संसदीय चुनावों में ऐसा नियम लागू नहीं था।

तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश

धारा 19 (3) के तहत तेलंगाना पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 153 (2) और 184 (2) के तहत दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तिको चुनाव लड़ने के लिये अयोग्य घोषित किया जाएगा।

हालाँकि 30 मई, 1994 से पहले अगर कर्ता व्यक्तिके दो से अधिक बच्चे थे तो उसे अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा। आंध्र प्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1994 में समान खंड आंध्र प्रदेश के लिये भी लागू होता है, जहाँ दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तिको चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाएगा।

गुजरात

वर्ष 2005 में सरकार द्वारा गुजरात स्थानीय प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन किया गया था जिसके अनुसार स्थानीय स्वशासन, पंचायतों, नगर पालिकाओं और नगर नगिम के निकायों का चुनाव लड़ने हेतु दो से अधिक बच्चों वाले कर्ता भी व्यक्तिको अयोग्य घोषित किया गया है।

महाराष्ट्र

महाराष्ट्र ज़िला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम स्थानीय नगिम चुनाव (ग्राम पंचायत से लेकर नगर नगिम तक) लड़ने के लिये दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तिको अयोग्य घोषित किया जाएगा।

महाराष्ट्र सविलि सेवा (छोटे परिवार की घोषणा) नगिम, 2005 के अनुसार, दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तिको राज्य सरकार के कर्ता भी पद हेतु अयोग्य घोषित किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दो से अधिक बच्चों वाली महिलाओं को नहीं दिया जाता।

उत्तराखण्ड

राज्य सरकार द्वारा दो से अधिक बच्चों वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने का फैसला लिया गया था एवं इस संबंध में विधानसभा में एक विधियक पारिति किया गया था। परंतु ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत वार्ड सदस्य का चुनाव लड़ने वालों द्वारा इस फैसले को उच्च न्यायालय में दी गई चुनौती के उपरांत उन्हें राहत प्रदान की गई। इसके तहत दो बच्चों वाले मानदंड की शरत केवल उन लोगों पर लागू की गई है जिन्होंने ज़िला पंचायत के चुनाव लड़े।

कर्नाटक

कर्नाटक (ग्राम स्वराज और पंचायत राज) अधिनियम, 1993 दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को ग्राम पंचायत जैसे- स्थानीय निकायों के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं कर सकता।

हालाँकि कानून के अनुसार, एक व्यक्ति 'जिसके परिवार के सदस्यों के उपयोग के लिये सैनटिरी शौचालय उपलब्ध नहीं है,' वह चुनाव लड़ने हेतु अयोग्य होगा।

ओडिशा

ओडिशा ज़िला परिषद अधिनियम दो से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करता है।

दो बच्चों से संबंधित राष्ट्रनीति

13 अगस्त, 2018

दो बच्चों से संबंधित राष्ट्रनीति को लागू करने हेतु राष्ट्रपति को याचिका सौंपी गई।

15 अगस्त, 2019

स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जनसंख्या विसिफोट पर चत्ति जताई थी।

10 जनवरी, 2020

सर्वोच्च न्यायालय ने जनसंख्या नविंत्रण कानून वाली याचकिया पर केंद्र सरकार को नोटसि जारी किया।

18 जनवरी, 2020

RSS के संघ संचालक मोहन भागवत द्वारा जनसंख्या नविंत्रण का मुददा उठाया गया।

सर्वोच्च न्यायालय में दायर याचकिया में कहा गया था कि क्या भारत में सरिफ दो बच्चे पैदा करने वाला कानून पास हो सकता है? क्या भारत सरकार चीन की तरह वन चाइलड पॉलसी लेकर आ सकती है? हालाँकि इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यह संसद के हस्तक्षेप का क्षेत्र है।

दो बच्चों की राष्ट्र नीति के नकारात्मक पहलू

आरथिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार, वर्ष 2040 तक भारत में बुजुरगों की आबादी 16 फीसदी तक पहुँच जाएगी। वर्ष 2050 तक यह संख्या 33 करोड़ पार कर जाएगी और वशिष्जन्मों द्वारा आशंका जाताई जा रही है कि अगर दो बच्चों की राष्ट्र नीति नहीं अपनाई गई तो इन आँकड़ों में और अधिक वृद्धि हो सकती है।

दो बच्चों की राष्ट्र नीति के सकारात्मक पहलू

संयुक्त राष्ट्र की रपिरेट के अनुसार, भारत की आबादी वर्ष 2027 तक 158 करोड़ हो जाएगी, जो फलिहाल 131 करोड़ है। वहीं चीन की जनसंख्या वर्ष 2027 में 153 करोड़ हो जाएगी। इस प्रकार भारत वर्ष 2027 तक वशिष्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बन जाएगा।

गौरतलब है कि जनसंख्या बढ़ने से बेरोज़गारी, गरीबी, अशक्तिशाली, नमिन स्वास्थ्य स्तर और प्रदूषण जैसी समस्याओं में वृद्धि होगी।

जनसंख्या के संबंध में चीन की स्थिति

वर्ष 1979 में चीन द्वारा एक बच्चे की राष्ट्र नीति को लाने का उद्देश्य बढ़ती हुई आबादी पर नविंत्रण पाना था। उस वक्त चीन की जनसंख्या 97 करोड़ थी जो वर्ष 2019 में 139 करोड़ हो गई है। इस नीति से 40 करोड़ बच्चे कम पैदा हुए लेकिन कामगार आबादी में तेज़ी से गरिवट हुई। इससे वहाँ वृद्धि जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई एवं बुजुर्ग पीढ़ी को सहारा देने के लिये युवा आबादी में कमी आने लगी। इसे देखते हुए चीन ने अपनी नीति को बदलते हुए वर्ष 2016 से क बच्चे की राष्ट्र नीति को वापस ले लिया एवं दो बच्चों की इजाजत दे दी।

आगे की राह

भारत में जनसंख्या संबंधी कैसी नीति होनी चाहिये, इस पर राष्ट्रव्यापी बहस की आवश्यकता है। इसके लिये केंद्र, राज्यों और अन्य संबंधित संस्थाओं को एक साथ मिलिकर कैसी निषिकर्ष पर पहुँचना होगा। चीन का सबक भी यही कहता है कि भारत को ऐसा अनविर्य कानून बनाना चाहिये जो सस्ती-सुलभ शक्तिशाली और स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धिकर इस कार्य को इस कार्य को सुनिश्चित कर सके।

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/two-kids-policy>